न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 49/2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. लक्षमणराम पुत्र रायचंद जाति–प्रजापत, निवासी–चावण्डियाकलां, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।		1. करमीराम पुत्र प्रभूराम जाति–बावरी निवासी–भाटियों का बेरा कुशालपुरा तहसील–रायपुर जिला–पाली राज.। 2. लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली राज.।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.03/04/2019

उपस्थितः–

1. श्री शाकिर हुसैन, पंकज शर्मा, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 27/02/2020

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 216 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा ग्राम–चावण्डिया कलां तहसील–जैतारण जिला–पाली राज. की सीमा में स्थित है। अप्रार्थी संख्या एक करमीराम की भी कृषि भूमि खातेदारी की खसरा नंबर 215 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा सरहद मौजा चावण्डियाकलां तहसील–जैतारण जिला–पाली में है। प्रार्थी के खेत के पास ही स्थित है। अप्रार्थी का खेत खसरा संख्या 215 के पास ही चावण्डिया से देवरिया की मुडीया सड़क खसरा नंबर 202 गै.मु. रास्ता वाके है। प्रार्थी व अप्रार्थी अपने खेत में इसी गै.मु. रास्ता खसरा नंबर 202 से ही अपने अपने खेतों में वक्त सेटलमेंन्ट से आते जाते है खसरा नंबर 202 की जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 साथ पेश है। वक्त सेट्लमेन्ट का नक्शा टेस खसरा नंबर 202, 215, 216 का साथ पेश है। जिसमें खसरा नंबर 215 अप्रार्थी की जमीन खसरा संख्या 202 गै.मु राजकीय रास्ता पर ही स्थित है। तथा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 216 भी अप्रार्थी के खेत के पास ही स्थित है। इसलिए प्रार्थी को राजकीय सड़क रास्ता से अपने खेत में जाने हेतु खसरा संख्या 215 व खसरा नंबर 212/585 के पास वाली मांठ से ही एकमात्र रास्ता उपलब्ध है। अप्रार्थी ने भी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 215 में से उक्त माठं के पास ही प्रार्थी को रास्ता 13 फिट चौड़ा देने का लिखत इकरार कर रास्ता की ग्रान्ट दे दी है। तथा इस रास्ते की ग्रान्ट की प्रतिफल की अप्रार्थी ने प्रार्थी से राशि रूपये 1,10,000 अक्षरे एक लाख दस हजार रूपये मात्र रोकड़ प्राप्त कर लिये है। इस अमर का एक इकरारनामा भी अप्रार्थी ने प्रार्थी के पक्ष में स्टाम्प रूपये 500 पर तहरीर व तकमील कर स्वयं का छायाचित्र लगाकर व अप्रार्थी ने अपना अंगुष्ठ निशान कर दो साक्षीगण की उपस्थित में इकरारनामा में साखे डलवाकर तथा नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा दिया है। नकल इकरारनामा दिनांक 06.02.2019

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

की फोटो प्रति साथ पेश है। प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 216 में आने जाने हेतु तथा टेक्टर मय टोली के आने जाने हेतु नक्शा मौका में बताया गया पीले रंग का रास्ता ए बी सी डी ही एकमात्र रास्ता है। यह रास्ता राजस्व रेकर्ड व नक्शा टेस में भी इन्द्राज नहीं है अप्रार्थी ने उक्त रास्ता की जमीन के प्रतिफल की राशि भी जरिए इकरारनामा के प्रार्थी से रोकड़ प्राप्त कर ली है इसलिए उक्त रास्ता का इन्द्राज नक्शा टेस में किया जावे व जमाबन्दी में गै.मु. रास्ता जो नक्शा नजरी में ए बी सी डी पीले रंग का 13 फिट चौड़ा है। इन्द्राज न्यायहित में किया जावे। प्रार्थी व अप्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम चावण्डिया तहसील-जैतारण की सीमा में स्थित है। इसलिए न्यायालय हाजा को यह प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार है:-

251- क "अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना सा विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-(1) जहां

(क)- कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)- कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि-

(A)- यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(B)- अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है-

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

(2)– जहां–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3)– वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार स्पष्ट है कि रास्ते सम्बन्धी प्रकरणों में संक्षिप्त जांच उपरान्त निस्तारण अपेक्षित होता है। तहसीलदार जैतारण ने अपनी जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है कि ग्राम चावण्डिया के खसरा नंबर 215 रकबा 4–10 बीघा में खातेदार करमीराम पुत्र प्रभूराम कौम बावरी सा. कुशालपुरा तहसील–रायपुर खातेदार नाम है। जिन्हें पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई नजदीकी सुविधाजनक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित भूमि में अन्य कोई पूर्व स्वीकृत रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा मय पटवारी फर्द मौका रिपोर्ट साथ पेश है। प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 215 में लम्बाई 138 फुट एवं चौड़ाई 13 फुट यानि 02 बिस्वा है। प्रार्थी को दिये जाने वाले रास्ते की प्रभावित भूमि की डी.एल. सी दर 32270 रूपये प्रति बीघा है।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, नजरी नक्शा एवं तहसीलदार, जैतारण की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी खातेदार लक्ष्मणराम की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 216 में आवागमन हेतु कोई रिकॉडेड रास्ता उपलब्ध नहीं है, तथा निकटतम रिकॉडेड रास्ता खसरा संख्या 202 देवरिया से चावण्डिया के मध्य चलने वाला गैर मुमकिन रास्ता है तथा उक्त रिकॉडेड रास्ता एवं प्रार्थी की आराजी के मध्य अप्रार्थी करमीराम की आराजी खसरा संख्या 215 स्थित है। अतः खसरा संख्या 216 तक पहुंच के लिए खसरा संख्या 202 गैर मुमकिन रास्ता से खसरा संख्या 215 की उतरी सीमा के सहारे 138 फीट लम्बा एवं 13 फीट चौड़ा कुल रकबा 02 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना हम उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा– चावण्डिया, पटवार हल्का–चावण्डिया, तहसील–जैतारण जिला– पाली राज. के खसरा संख्या 215, रकबा 04–10 बीघा, किस्म बारानी अव्वल में से 138 फुट लम्बा एवं 13 फुट चौड़ा, जिसका कुल रकबा 02 बिस्वा है। इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैर मुमकिन रास्ता, सिवाय चक दर्ज किए जानें के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि खसरा संख्या 215 की प्रचलित डी.एल.सी दर 32270/– रूपये प्रति बीघा के आधार पर नियमानुसार डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते के कुल रकबा 02 बिस्वा की कुल राशि 6454/– (अक्षरे छः हजार चार सौ चौवन रूपये मात्र) प्रार्थी से वसूलकर अप्रार्थी को भुगतान करें। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद कर रास्ते की

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

पत्थरगढी करावें एवं मौके पर कोई अवरोध पाए जाएं तो उन्हें हटाएं। यदि अप्रार्थी उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावे, अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलंब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 27/02/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.03.03 11:36:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: